विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग
दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग–491001

क्र. 194 दि. 30/06/2026

प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/50
दिनांक 08.05.2026

आवेदक

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत, डौण्डी लोहारा, जिला बालोद
बी.पी. नं. **1001969221**,
मो नं. **9589845434**

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., बालोद

सहायक अभियंता उपसंभाग
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., डौंडीलोहारा

अनावेदकगण

विषय :– नगर पंचायत डौण्डी लोहारा के सड़क बत्ती हेतु स्थापित 4 किलोवाट के विद्युत कनेक्शन में मीटर रीडिंग एवं बिलिंग संबंधी अनियमितता के संबंध में।

आदेश

(आज दिनांक 25.06.2026 को पारित किया गया)

1. विवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा प्रस्तुत परिवाद में यह अभ्यावेदन किया गया कि बी.पी. क्रमांक 1001969221 से संबंधित सड़क बत्ती विद्युत कनेक्शन में मीटर रीडिंग एवं बिलिंग में अनियमितता होने के कारण त्रुटिपूर्ण विद्युत देयक जारी किए जा रहे हैं। अतः पूर्व अवधि की बिलिंग का परीक्षण कर संशोधित विद्युत देयक जारी किए जाने की प्रार्थना की गई।

फोरम द्वारा उक्त परिवाद को प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/50 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर सुनवाई प्रारंभ की गई।

2. प्रकरण की कार्यवाही

दिनांक 19.05.2026 को प्रथम सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें अनावेदक अनुपस्थित रहे तथा आवेदक का प्रतिनिधि उपस्थित हुआ। प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 17.06.2026 को आयोजित की गई, जिसमें भी आवेदक अनुपस्थित रहे तथा अनावेदकों की ओर से सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता, उपसंभाग डौण्डी लोहारा उपस्थित हुए।

फोरम द्वारा अनावेदकों को निर्देशित किया गया कि प्रकरण से संबंधित संपूर्ण बिलिंग अभिलेख, पिछले तीन वर्षों के बिलिंग गणना पत्रक एवं मीटर रीडिंग संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँ।

दिनांक 24.06.2026 को अनावेदकों द्वारा आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किए गए। प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार बी.पी. क्रमांक 1001969221 के तहत 4 कि.वॉ.. सडकबत्ती में लगे पुराना मीटर का मेक HPL SL NO- 452835] CAP&5&30A सिंगल फेस मीटर लगा हुआ था। कंपनी के नियमानुसार पुराना मीटर को बदलकर नया स्मार्ट मीटर जिसका मेक GENUS SL NO- G3885012 CAP&5&30A सिंगल फेस मीटर दिनोंक पुराना मीटर का FR रीडिंग 98806 तक का बिलिंग कर दिया गया है पुराना मीटर में PF दर्ज नही होने के कारण PF नहीं लिया गया है। स्मार्ट मीटर चेंज होने के बाद MD एवं PF लिया जा रहा है। तथा कंपनी के नियमानुसार च्च अधिक होने के कारण छूट दी जा रही है। 23.08.2025 को लगाया गया है

3. फोरम द्वारा परीक्षण एवं निष्कर्ष

प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों, बिलिंग गणना पत्रक एवं पक्षकारों के कथनों का परीक्षण करने पर फोरम निम्न निष्कर्ष पर पहुँचता हैकृ

1. अनावेदकों द्वारा यह कथन प्रस्तुत किया गया कि पुराने मीटर में पावर फैक्टर की रीडिंग उपलब्ध न होने के कारण पावर फैक्टर के आधार पर कोई बिलिंग नहीं की गई। किन्तु फोरम द्वारा प्रस्तुत बिलिंग गणना पत्रक के परीक्षण से यह पाया गया कि माह सितंबर 2023 से जुलाई 2025 की अवधि में पावर फैक्टर सरचार्ज की बिलिंग की गई है, जबकि उस अवधि में मीटर डायरी में पावर फैक्टर की रीडिंग उपलब्ध नहीं थी। अतः बिना पावर फैक्टर रीडिंग के पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया जाना प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुरूप नहीं है। इसलिए उक्त अवधि के विद्युत देयकों का पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक है।

2. अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि स्मार्ट मीटर स्थापित होने से पूर्व के महीनों अधिकतम मांग (MD) लगभग 3 से 5 किलोवाट किलोवाट दर्ज हुई । यद्यपि प्रचलित टैरिफ आदेश

के अनुसार ऐसी स्थिति में अनुबंधित भार के पुनर्निर्धारण की कार्यवाही अपेक्षित थी। उपभोक्ता का स्वीकृत भर जनवरी 2024 से 4 किलो वाट एवं में 2026 से 5 किलो वाट निर्धारित किया जाना उचित होगा

3. प्रस्तुत मीटर रीडिंग एवं बिलिंग अभिलेखों के परीक्षण से ऊर्जा खपत की गणना एवं मीटर रीडिंग में किसी प्रकार की विसंगति अथवा त्रुटि प्रमाणित नहीं हुई।

4. आदेश

अतः फोरम निम्न आदेश पारित करता है—

1. अनावेदक माह सितंबर 2023 से जुलाई 2025 की अवधि के विद्युत देयकों का परीक्षण कर, जिस अवधि में पावर फैक्टर की रीडिंग उपलब्ध नहीं थी, उस अवधि में लगाए गए पावर फैक्टर सरचार्ज को निरस्त करते हुए प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुसार संशोधित विद्युत देयक 30 दिवस के भीतर जारी करें तथा संशोधित गणना पत्रक आवेदक को उपलब्ध कराएं।

2. उपभोक्ता का अनुबंधित भार जनवरी 2024 से 4 किलोवाट एवं मई 2026 से 5 किलो वाट निर्धारित करते हुए बिलिंग संशोधित किया जावे
उपरोक्त अवधि में यदि उपभोक्ता को पैनल डिमांड चार्ज लगाया गया है तो उसे निरस्त कर संशोधित बिल जारी किया जावे।

3. प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर स्मार्ट मीटर लगने से पूर्व एवं पश्चात मीटर रीडिंग एवं ऊर्जा खपत की गणना में किसी प्रकार की अनियमितता सिद्ध नहीं होती। अतः इस संबंध में आवेदक की शिकायत स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

4.उपरोक्त मदों में की गई अतिरिक्त राशि की वसूली को आगामी विद्युत देयकों में समायोजित किया जाए।

5. समस्त कार्यवाही एवं संशोधित बिल जारी करने की प्रक्रिया आदेश की प्रति प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर पूर्ण की जाए तथा अनुपालन प्रतिवेदन फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

6. उपरोक्त आदेश फोरम द्वारा विधिवत पारित किया जाता है।

7. प्रकरण फोरम के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रतिवेदनों के आधार पर निराकृत।

8 यदि शिकायतकर्ता / आवेदक कोरम द्वारा पारित उक्त आदेश से असंतुष्ट हो तो माननीय विद्युत लोकपाल मण्डल से उक्त आदेश की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है।

(सतीश चन्द्रायण)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.डी. भतपहरी)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग